निखिल कावत vs [illegible] तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज [illegible] [illegible]-37/20	नाबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
	वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का रींगस द्वारा दिनांक 20.09.2017 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 5595 कुल रकबा 1.45 हैक्टर एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 5589, 5590 कुल किता 2 कुल रकबा 0.58 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रींगस तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/— रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/— रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/—रूपये कुल 2100/— रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का रींगस द्वारा दिनांक 20.09.2017 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 15.12.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.12.22 11:26:21 IST
Reason: SelfAttested